सं. 1/1/2009-डीसीएच/डब्ल्यूडब्ल्यू/एच डब्ल्यूसीडब्ल्यूएस
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: अक्टूबर, 2009

सेवा में,

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हथकरघा प्रभारी सचिव
2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हथकरघा आयुक्त/निदेशक प्रभारी
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी-आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लि.,मुंबई ।

विषय: "स्वास्थ्य बीमा योजना" के लिए दिशा-निर्देश (दिनांक 19 अक्टूबर, 2009 को यथा संशोधित)

महोदय/महोदया,

वर्ष 2009-10 के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (संशोधित रूप में) को इसके साथ संलग्न संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार आईसीआईसीआई लांबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा ।

यह दिनांक 3-8-2009 के फाइल सं. 1/1/2009-डीसीएच/डब्ल्यूडब्ल्यू/एच डब्ल्यूसीडब्ल्यूएस द्वारा जारी पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों के प्रतिस्थापन में है । कृपया व्यापक प्रचार-प्रसार करके और उचित निर्देश जारी करके इस योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

ह0/-
(जे.एन.सिंह)
विकास आयुक्त (हथकरघा)

अनुलग्नक: यथोक्त ।

प्रतिलिपि:-

1. योजना आयोग(वी एस ई), योजना भवन, नई दिल्ली
2. आईएफ विंग, वस्त्र मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली
3. विकास आयुक्त (हथकरघा)कार्यालय के सभी अधिकारी और अनुभाग, नई दिल्ली
4. वेतन और लेखा कार्यालय (वस्त्र मंत्रालय) उद्योग भवन, नई दिल्ली
5. सभी बुनकर सेवा केन्द्र/ भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी)
6. आई सी आई सी आई लॉंबार्ड, आंचलिक प्रमुख, बिरला टॉवर, 5वीं मंजिल, 25, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली- 110001
7. एनआईसी-हथकरघा वेबसाइट-www.handlooms.nic.in में दिशा-निर्देश को रखने के लिए
8. सूचना सुविधा काउन्टर, वस्त्र मंत्रालय(50/-प्रतियां)

ह0/-
(जे.एन.सिंह)
विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. 1/1/2009-डीसीएच/डब्ल्यूडब्ल्यू/एच डब्ल्यूसीडब्ल्यूएस

"<u>स्वास्थ्य बीमा योजना(एचआईएस)</u>" (2009-10) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

1. <u>प्रस्तावना</u>

भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 में हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की थी जिसे समय-समय पर उपयुक्त संशोधनों के साथ आईसीआईसीआई लॉबार्ड जनरल इंश्यूरेश कंपनी लि. के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

पत्र सं. सं. 1/1/2009-डीसीएच/डब्ल्यूडब्ल्यू/एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस दिनांक 3.8.2009 द्वारा परिचालित दिशा-निर्देशों के प्रतिस्थापन में, 2009-10 में कार्यान्वित की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना (19 अक्टूबर, 2009) के लिए संशोधित दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1. <u>उद्देश्य</u>

स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य देश में बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाओं की पहुंच के लिए बुनकर समुदाय को आर्थिक तौर पर समर्थ बनाना है । इस योजना में न केवल बुनकर बल्कि उसकी पत्नी और दो बच्चों को कवर किया जाता है ताकि सभी पहले से ही विद्यमान रोगों और नए रोगों की चिकित्सा की जा सके और ओ.पी.डी. के लिए पर्याप्त प्रावधान रखा जाए । वार्पिंग, वाइंडिंग,डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिसिंग, साइजिंग, झाला निर्माण, जकार्ड कटिंग आदि के कार्यों में कार्यरत सहायक हथकरघा कामगार भी इस योजना में कवर किए जाने के लिए पात्र हैं ।

2. योजना की प्रमुख विशेषताएं :

2.1 निधियन की पद्धति:

i	**भारत सरकार का अंशदान**	**809.10 रूपए प्रति वर्ष** **प्रीमियम 716.80 रूपए जमा** **सेवा कर 92.30 रूपए** **(10.3% की दर से (वर्ष 2009-10 के लिए)**
Ii	**हथकरघा बुनकर/राज्य सरकार का अंशदान**	**179.20 रूपए प्रति वर्ष** (बुनकर का न्यूनतम अंशदान प्रति परिवार 50 रूपए होना चाहिए जो उन मामलों में भी लागू होगा जिनमें राज्य सरकारें उसकी ओर से अंशदान कर रही हैं)
iii	**कुल प्रीमियम** (सेवा कर सहित)	**988.30 रूपए प्रति वर्ष**

2.2 निधियां जारी करना:

1. इस योजना के अंतर्गत बुनकरों को कवरेज देने के लिए प्रीमियम में केन्द्र सरकार के हिस्से को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को सीधे किस्तों में जारी किया जाएगा । प्रीमियम की राशि में सरकार के अंशदान के बराबर की राशि और कवर किए जाने वाले बुनकरों की कुल संख्या के प्रीमियम के 30% के बराबर सेवा कर कंपनी को जारी किया जाएगा । किसी भी समय जब ऊपर उल्लिखित राशि के 66% का उपयोग बुनकरों के नामांकन के लिए किया जाता है तो कंपनी विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय को एक प्रगति रिपोर्ट भेजेगी जिसमें नामांकित लोगों की संख्या और उनके लिए प्रयुक्त निधियों को दर्शाया गया होगा । प्रगति रिपोर्ट, जिसे राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रमाण-पत्र द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा, के प्राप्त होने पर विकास आयुक्त, हथकरघा का कार्यालय प्रीमियम की 30% की अगली किस्त जारी करने के लिए कार्रवाई करेगा । आगे निधियां जारी करने का कार्य भी इसी अनुपात में होगा जब तक यह आंकड़ा 90% तक पहुंचता है । एक बार 90% राशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद केवल 10% की शेष राशि को जारी किया जाएगा।

2. 896/- रूपए के वार्षिक बीमा प्रीमियम पर यथा प्रयोज्य सेवा कर का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा ।

3. यदि दावे का भुगतान किया जाता है और आईबीएनआर और टीपीए प्रभारों के रूप में दी गई राशि वहन किए गए वार्षिक प्रीमियम के 70% से कम है, तो आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड अधिशेष राशि को वापस करेगा।

3. <u>कार्यान्वयन एजेंसियां</u>

यह योजना आई सी आई सी आई लोम्बार्ड जनरल इन्श्यूरेंस कंपनी लि. के माध्यम से विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी । हथकरघा राज्य निदेशक/उद्योग निदेशक/ हथकरघा प्रभारी अपने-अपने राज्यों में योजना के कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

4. <u>पात्रता</u> :-

"हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना" (एतद्पश्चात "बुनकर" शब्द में वार्पिंग, वाइंडिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग, साइजिंग, झाला निर्माण, जेकॉर्ड कटाई आदि में कार्यरत कामगारों जैसे सहायक हथकरघा कामगार शामिल होंगे) के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए बुनकर को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए :-

- बुनकर अपनी आय का कम से कम 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित कर रहा हो ।

- सभी बुनकर, चाहे पुरूष हों अथवा महिला "स्वास्थ्य बीमा योजना" के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र हैं । यह योजना बुनकर के 4 सदस्यीय परिवार अर्थात स्वयं, पति/पत्नी और दो बच्चों को कवर करेगी । यह योजना एक दिन से 80 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को कवर करेगी ।

- राज्य प्रभारी निदेशक और आईसीआईसीआई का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि महिला बुनकरों, अल्पसंख्यक समुदाय के बुनकरों और पूर्वोत्तर राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) के बुनकरों को योजना का कार्यान्वयन करते समय पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए ।

- राज्य हथकरघा विकास निगमों, शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थाओं से संबंध रखने वाले बुनकरों को योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा । सहकारी संस्थाओं से बाहर के बुनकरों को भी राज्य हथकरघा निदेशक से प्राप्त इस आशय के एक प्रमाण-पत्र के आधार पर इस योजना के अंतर्गत कवर किया जा सकता है कि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं ।

- राज्य हथकरघा प्रभारी निदेशक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उन बुनकरों और सहायक कामगारों की पात्रता को सत्यापित करें जो इस योजना के लाभार्थी होंगे ।

5. कवरेज:

आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सीमाओं/उप-सीमाओं के अधीन देश के भीतर किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में बुनकरों द्वारा प्राप्त किए गए चिकित्सीय उपचार की प्रक्रिया पर आय खर्च का भुगतान का भुगतान/उसकी प्रतिपूर्ति करेगा ।

6. नकद रहित सुविधा :

आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों (तीसरे पक्षकार प्रशासक) के माध्यम से देश भर में विभिन्न राज्यों में पैनल में शामिल अस्पतालों/नर्सिंग होमों में नकद रहित सुविधा प्रदान करेगा । इसका यह अर्थ होगा कि कोई भी मरीज पैनल के अस्पतालों में से किसी में भी बिलों का वास्तव में भुगतान किए बिना इलाज करवा सकता है । यदि किसी मरीज को ऐसे किसी डॉक्टर या क्लीनिक में जाना पड़ता है, जो अनुमोदित सूची में नहीं है, तो वह दवा की पर्ची और बाउचर आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (टीपीए) को प्रस्तुत कर सकता है जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपेक्षित दस्तावेजों और सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर पूरा भुगतान कर दिया जाए ।

7. अवधि

7.1 यह पॉलिसी बीमाकर्ता द्वारा प्रीमियम की प्राप्ति की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगी ।

7.2 किसी बुनकर के परिवार को प्रीमियम के अपने हिस्से के भुगतान पर सामान्यत: 1 वर्ष के लिए लाभ प्राप्त होंगे ।

7.3 नवीकरणों के लिए प्रमुखता दी जानी चाहिए । वर्ष 2008-09 के नए नामांकनों के न्यूनतम 80 प्रतिशत को वर्ष 2009-10 में नवीकृत किया जाना चाहिए । प्रत्येक बुनकर को एक व्यक्तिगत कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत लाभ और सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उसकी अद्वितीय संख्या, परिवार के सदस्यों के नाम और वैधता अवधि दी गई होगी ।

8. लाभ

(रुपये में)

प्रति परिवार वार्षिक सीमा (1+3)	15,000/-
प्रति परिवार उप सीमा	-
सभी पूर्व मौजूदा रोग+ नए रोग	15,000/-
मातृत्व लाभ (पहले दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा)	2,500/-
दंत चिकित्सा	250/-
नेत्र चिकित्सा	75/-
चश्मे	250/-
आवासीय चिकित्सा	4,000/-
आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक/सिद्ध	4,000/-
अस्पताल में भर्ती होना (पूर्व और उत्तरवर्ती समेत)	15,000/-
शिशु कवरेज	500/-
ओपीडी	7,500/-
प्रति बीमारी सीमा	7,500/-

अपवर्जन: सुधारात्मक कास्मेटिक सर्जरी अथवा उपचार, एचआईवी एड्स, बांझपन, यौन रोग, इरादतन स्व- क्षति, नशीली दवा अथवा अल्कोहल का प्रयोग, युद्ध, दंगे, हड़ताल, आतंकवादी गतिविधियां, परमाणविक जोखिम ।

9. प्रचालन संबंधी रूपरेखाएं

9.1 राज्य हथकरघा प्रभारी निदेशक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ बुनकरों के बीमा कवरेज को अंतिम रूप देगा ।

9.2 यह संशोधित योजना हथकरघा बुनकरों के लिए **"हथकरघा बीमा योजना"** के लिए दिनांक 19 अक्टूबर, 2009 के इन दिशा-निर्देशों के जारी होने की तारीख से लागू होगी ।

9.3 हथकरघा और वस्त्र के राज्य प्रभारी निदेशक का कार्यालय और क्षेत्र में स्थित इसके अधीनस्थ कार्यालय योजना के कार्यान्वयन के नोडल अभिकरण होंगे ।

9.4 इस योजना के अंतर्गत बुनकरों को कवरेज देने के लिए प्रीमियम में केन्द्र सरकार के हिस्से को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को सीधे किस्तों में जारी किया जाएगा । प्रीमियम की राशि में सरकार के अंशदान के बराबर की राशि और कवर किए जाने वाले बुनकरों की कुल संख्या के प्रीमियम के 30 प्रतिशत के बराबर सेवा कर कंपनी को जारी किया जाएगा । किसी भी समय जब ऊपर उल्लिखित राशि के 66% का उपयोग बुनकरों के नामांकन के लिए किया जाता है तो कंपनी विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय को एक प्रगति रिपोर्ट भेजेगी जिसमें नामांकित लोगों की संख्या और उनके लिए प्रयुक्त निधियों को दर्शाया गया होगा । प्रगति रिपोर्ट, जिसे राज्य सरकार से प्राप्त एक प्रमाण-पत्र द्वारा साक्ष्यांकित किया जाएगा, के प्राप्त होने पर हथकरघा आयुक्त का कार्यालय प्रीमियम की 30% की अगली किस्त जारी करने के लिए कार्रवाई करेगा । आगे निधियां जारी करने का कार्य भी इसी अनुपात में होगा जब तक यह आंकड़ा 90 प्रतिशत तक पहुंचता है । एक बार 90 प्रतिशत राशि के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद केवल 10 प्रतिशत की शेष राशि को जारी किया जाएगा।

9.5 भावी लाभ भोगी के लिए नामांकन फार्म को भरना और उसे प्रीमियम के अपने हिस्से के साथ राज्य हथकरघा निदेशक को जमा कराना जरूरी होगा । आवेदन/नामांकन फार्म आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा राज्य हथकरघा निदेशालय और/या बुनकरों को उपलब्ध कराया जाएगा ।

9.6 राज्य हथकरघा निदेशालय आवेदनों की जांच करेगा और यदि वह पात्र पाए जाते हैं तो प्रीमियम की राशि को स्वीकार करेगा और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को ऐसे लाभभोगियों की सूची और प्रीमियम की राशि अग्रेषित करेगा ।

9.7 राज्य हथकरघा निदेशालय से लाभार्थियों की सूची के साथ प्रीमियम की राशि की प्राप्ति होने पर आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड राज्य हथकरघा निदेशालय को **स्वास्थ्य कार्ड** जारी करेगा जिसके साथ एक विवरण होगा, जिसमें बीमाशुदा व्यक्तियों के नाम दर्शाए गए होंगे । कार्यान्वयन अभिकरण के साथ राज्य हथकरघा निदेशालय कवरेज के संबंध में अलग-अलग लाभार्थियों को सूचित करने की व्यवस्था करेगा ।

9.8 यदि कोई हथकरघा बुनकर बीमा अवधि के दौरान एक संस्था या निगम से दूसरी संस्था या निगम में अपने रोजगार को बदलता है, तो इस योजना के लाभार्थी के रूप में वह राज्य सरकार को सूचना देगा ।

9.9 राज्य सरकार और राज्य हथकरघा निगम/शीर्ष/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थाएं/संघ/एसोसिएशनें इस योजना में शामिल होने के लिए हथकरघा बुनकरों को जागरूक बनाने के माध्यम से इस योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से संबद्ध रहेंगी ।

9.10 आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड राज्य हथकरघा प्रभारी निदेशक/आयुक्त को नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या के संबंध में एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो ऐसे नामांकनों की संख्या और स्वास्थ्य कॉर्डों को जारी किए जाने के आवश्यक सत्यापन के बाद उसे प्रमाणित करेगा ।

9.11 राज्य हथकरघा निदेशालय विकास आयुक्त हथकरघा, वस्त्र मंत्रालय को प्रत्येक माह की 10 तारीख को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें कवरेज के ब्यौरे और दावों के निपटान संबंधी सूचना दर्शायी गई होगी ।

10. दावे संबंधी प्रक्रिया:

i. योजनागत उपचार

क. कोई मरीज अपनी पसंद के किसी पैनलबद्ध अस्पताल/नर्सिंग होम में जा सकता है । ऐसे अस्पतालों की एक सूची आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । इस सूची की एक प्रति www.handlooms.nic.in वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

ख. मरीज का नाम/पॉलिसी संख्या/बीमारी की प्रकृति/अस्पताल का नाम संबंधित पैनलबद्ध अस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या उसके प्रतिनिधि को भेजा जाएगा । आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्रतिनिधियों (टीपीए)/संपर्क व्यक्तियों की एक सूची आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

ग. नकदरहित सुविधा लेने के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा बुनकर बीमाशुदा व्यक्तियों को पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे । आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या उसके प्रतिनिधियों के ब्यौरे, फोन नं., हैल्पलाइन नं. भी सरलता से संपर्क के लिए पहचान-पत्र में दिए जाएंगे । इसके अलावा, पैनलबद्ध अस्पताल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या उसके प्रतिनिधियों को एक प्राधिकरण फार्म भी फैक्स द्वारा भेजेंगे, जो 12 घंटों के भीतर तत्संबंधी अनुमोदन प्रदान करेगा।

घ. मरीज उपचार प्राप्त करेगा, बिल पर हस्ताक्षर करेगा और अस्पताल से छुट्टी ले लेगा । इस प्रक्रिया में कोई नकद भुगतान नहीं किया जाएगा ।

ii. <u>आपातकालीन उपचार</u>

क. मरीज को किसी भी पैनलबद्ध अस्पताल में ले जाया जा सकता है ।

ख. अस्पताल को अपना पहचान-पत्र दिखाकर मरीज उपचार ले सकता है । इसी के साथ उसका परिवार हैल्प लाइन नं. पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या उसके प्रतिनिधियों (टीपीए) से संपर्क कर सकता है और पूर्व प्राधिकार फार्म प्रस्तुत कर सकता है । आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों (टीपीए) को उस अस्पताल को अनुमोदन फैक्स द्वारा तत्काल भेजना होगा ।

ग. मरीज उपचार प्राप्त करेगा, बिल पर हस्ताक्षर करेगा और अस्पताल से छुट्टी ले लेगा । इस प्रक्रिया में कोई नकद भुगतान नहीं किया जाएगा ।

iii. पूर्ति का दावा

मरीज नेटवर्क/पैनलबद्ध अस्पतालों के अलावा, किसी चिकित्सक या किसी क्लीनिक से उपचार प्राप्त कर सकता है । बुनकर अस्पताल के बिल को सीधे सभी प्रभारों को चुका कर निपटा सकता है । बीमा कंपनी सीमाओं/उप-सीमाओं के अधीन और सीजीएचएस की अनूमोदित दरों से अनधिक दरों पर देश के भीतर ऐसे किसी अस्पताल या नर्सिंग होम से लिए गए चिकित्सीय उपचार के दौरान बुनकर द्वारा वहन किए गए खर्चों का भुगतान/प्रतिपूर्ति करेगी जो कंपनी द्वारा पैनलबद्ध नहीं किए गए हैं । बुनकर दवाइयों की पर्ची और वाउचरों को बीमा कंपनी या टीपीए को प्रस्तुत कर सकता है जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपेक्षित दस्तावेजों और सूचना की प्राप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर पूरा भुगतान कर दिया जाए ।

iv. सहायता

1. इसके अलावा, किसी सहायता के लिए देश भर में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के राज्य सह-समन्वयकों से संपर्क किया जा सकता है । आईसीआईसीआई लोम्बार्ड

द्वारा ऐसे अधिकारियों/संपर्क व्यक्तियों की एक सूची स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी । इस सूची की एक प्रति www.handlooms.nic.in वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

2. मुद्रित सूचियां देने के अलावा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सभी संबंधित सरकार निकायों की वैबसाइट पर अस्पतालों/नर्सिंग होमों, टीपीए और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के संपूर्ण ब्यौरे भी डालेगा । इस सूची की एक प्रति www.handlooms.nic.in वैबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

11. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की भूमिका :

11.1 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (टीपीए) हथकरघा बुनकरों, राज्य सरकारों और विकास आयुक्त हथकरघा के कार्यालय को चिकित्सीय उपचार के लिए मध्यम दर्जे के अस्पतालों/नर्सिंग होमों की एक सूची प्रस्तुत करेंगे । इस सूची को प्रत्येक तिमाही में अद्यतन किया जाना चाहिए ।

11.2 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (टीपीए) ओपीडी/आईपीडी नकद रहित सुविधाओं के लिए देश में कम से कम 250 हथकरघा समूहों में राज्य सरकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल अस्पतालों की एक सूची भी प्रस्तुत करेंगे । वे राज्य सरकारों की सूची में कोई योग/कमी कर सकते हैं, जिसके बारे में उन्हें विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय को सूचित करना होगा ।

11.3 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को इस योजना को सफल बनाने के लिए सभी संभव कदम उठाने चाहिए । आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस योजना के अंतर्गत बुनकरों की कवरेज के लिए लाभार्थियों की पहचान, प्रस्तुत किए जाने वाले फार्म/निर्देशों आदि जैसे तैयारी संबंधी कदम तत्काल उठाने के लिए राज्य हथकरघा प्रभारी निदेशकों के संपर्क में रहेगा ।

11.4 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (टीपीए) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने सहित विभिन्न साधनों के द्वारा देश भर में हथकरघा बुनकरों के बीच इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी संभव कदम उठाएंगे ।

11.5 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्थानीय भाषाओं में इस योजना/लाभार्थियों से संबंधित इस सूचना का विज्ञापन देंगे । इस संदर्भ में की गई कार्रवाई से विकास आयुक्त, (हथकरघा) और राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा ।

11.6 ओपीडी कवर के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों के चिकित्सा बिलों के शीघ्र निपटान के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या उसके प्रतिनिधि उन्हें कार्य सौंपे जाने के एक माह

के भीतर 470 हथकरघा समूहों में से **कम से कम 250 प्रमुख हथकरघा** समूहों में अपने कार्यालय खोलेंगे ।

11.7 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय को प्रत्येक माह की 20 तारीख को एक मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें बीमाकृत व्यक्तियों, उपयोग की गई निधियों और निपटाए गए दावों की संख्या दर्शायी गई होगी ।

11.8 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक माह की 25 तारीख को राज्य हथकरघा निदेशक/प्रभारी आयुक्त के साथ एक बैठक करेगा । यदि उस दिन अवकाश हो तो यह बैठक अगले कार्य दिवस को आयोजित की जाएगी । बीमा कंपनी अपने दावा विभाग से उस राज्य से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले से ही करके रखेगी । आईसीआईसीआई को विशेष रूप से भुगतान और प्रतिपूर्तियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए ।

12. निगरानी और मूल्यांकन

12.1 जिला स्तर पर राज्य सरकार के हथकरघा सहायक निदेशक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के प्रतिनिधियों की एक समिति उस जिले में इस योजना के अंतर्गत आवेदकों के नामांकन और दावों के भुगतान तथा विशेष रूप से दावों के मुद्दे के समाधान की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में बैठक करेगी ।

12.2 विकास आयुक्त, हथकरघा का कार्यालय अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से और समय-समय पर राज्य सरकारों और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ बैठकें आयोजित करके तत्संबंधी प्रगति पर निगरानी रखेगा ।

(जे.एन.सिंह)
विकास आयुक्त (हथकरघा)